

न्यायालय-न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला बालाघाट(म.प्र.)
(समक्ष-डी.एस.मण्डलोई)

आप.प्रकरण क्र. 1015 / 2004
संस्थित दि.: 24 / 01 / 2003

मध्य प्रदेश शासन द्वारा आरक्षी केन्द्र रूपझर,
अन्तर्गत चौकी उकवा जिला बालाघाट (म.प्र.)

— — — — — अभियोगी

विरुद्ध

1. नरेन्द्र पिता बिसनलाल, उम्र 34 साल, जाति मरार,
निवासी रूपझर तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)
2. सतीश पिता राधेश्याम उम्र 29 साल, जाति कहार,
निवासी रूपझर तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)(पूर्वनिर्णीत)
3. राकेश पिता लखन, उम्र 27 साल, जाति मरार,
निवासी रूपझर तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.)(पूर्वनिर्णीत)

— — — — — आरोपीगण

— :: नि र्ण य :: —

(दिनांक-11 / 02 / 2015 को घोषित)

(01) आरोपी नरेन्द्र पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380 / 34 का आरोप है कि आरोपी नरेन्द्र ने दिनांक 29.12.2002 से 30.12.2002 की दरम्यानी रात्रि में ग्राम पोण्डी में फरियादी अरुण कुमार के घर के कमरे में स्थित पान दुकान, जो सम्पत्ति अभिरक्षा के उपयोग में आती थी, में सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व प्रच्छन्न गृहभेदन कारित करने किया तथा फरियादी के कब्जे से 150 / —, 60 नग अण्डे, 6 पैकेट ब्रिस्टल, 01 पैकेट रजवाड़ा को फरियादी की सम्मति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की।

(02) अभियोजन का प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम पोण्डी निवासी फरियादी अरुण देशमुख अपने घर के सामने एक कमरा बनाकर पान ठेला चलाता है।

दिन रविवार दिनांक 29.12.2002 की रात्रि 08:00 बजे पान ठेला बंद कर सो गया था। सोमवार को उठा तब करीब 06:30 बजे देखा तो पान ठेला का ताला टूटा था। अंदर देखा तो टीन की पेटी में रखे चौवनी, अठन्नी, एक दो व पांच रूपये के सिक्के करीब 150/-, दो ट्रे में रखे 60 नग अण्डे, 6 पौकेट ब्रिस्टल, रजवाड़ा एक पैकेट नहीं था कोई चोर चोरी कर ले गया था। जिसका अंदरूनी स्वयं पतासजी किया एवं ग्राम सुरक्षा समिति के सदस्यों ने चोर पकड़े है पता चला तब फरियादी ग्राम पंचायत भवन ले गया। जहां समिति वाले रामचंद्र कांवरे, गुलाब बिसेन वगैरह चोर नरेन्द्र, सतीश, राकेश से पूछताछ कर रहे थे तो तीनों ने फरियादी की पान की दुकान में चोरी करना कबूल किए। उक्ताधार पर फरियादी द्वारा पुलिस चौकी उकवा थानांतर्गत रूपझर में दिनांक 10.01.2003 को रिपोर्ट किए जाने पर प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध किया गया। घटनास्थल से आरक्षी केन्द्र रूपझर की दूरी 08 किलोमीटर है। आरक्षी केन्द्र रूपझर द्वारा शेष अन्वेषण एवं विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया है।

(03) आरोपी नरेन्द्र को मेरे पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 457, 380/34 का आरोप-पत्र विरचित कर पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर आरोपी ने अपराध करना अस्वीकार किया तथा विचारण चाहा ।

(04) आरोपी का बचाव है कि वह निर्दोष है पुलिस ने फरियादी से मिलकर उसके विरुद्ध झूठा प्रकरण तैयार कर उसे झूठा फंसाया है।

(05) आरोपी नरेन्द्र के विरुद्ध अपराध प्रमाणित पाये जाने के लिए निम्नलिखित बिन्दु विचारणीय है :-

- (अ) क्या आरोपी नरेन्द्र ने दिनांक 29.12.2002 से 30.12.2002 की दरम्यानी रात्रि में ग्राम पोण्डी में फरियादी अरुण कुमार के घर के कमरे में स्थित पान दुकान, जो सम्पत्ति अभिरक्षा के उपयोग में आती थी, में सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व प्रच्छन्न गृहभेदन कारित करने किया ?
- (ब) क्या आरोपी नरेन्द्र ने इसी दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी के कब्जे से 150/-, 60 नग अण्डे,

6 पैकेट ब्रिस्टिल, 01 पैकेट रजवाड़ा को फरियादी की सम्मति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

विचारणीय बिन्दु क्रमांक 'अ' एवं 'ब' :-

(06) प्रकरण में अभिलेख पर आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए तथा साक्षियों की साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो, सुविधा की दृष्टि से विचारणीय बिन्दु 'अ' एवं 'ब' का एक साथ विचार किया जा रहा है।

(07) अभियोजन साक्षी/फरियादी अरुण कुमार (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना वर्ष 2004 की रात्रि के समय ग्राम पोण्डी उसकी दुकान की है। घटना दिनांक को वह 07:00 बजे दुकान बंद करके घर चला गया था। सुबह आने पर उसने देखा कि उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ था और वहां से सिगरेट, पाउच, पैसे आदि चोरी हो गये थे। उसने घटना की रिपोर्ट चौकी उकवा में लिखायी थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था।

(08) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता सहदेवराम साहू (अ.सा. 3) का भी कहना है कि उसने दिनांक 10.01.2003 को पुलिस चौकी उकवा में चौकी प्रभारी के पद पर कार्यरत रहते हुये फरियादी अरुण कुमार की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी नरेन्द्र, सतीश, राकेश के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। फरियादी अरुण कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग डेढ़ सौ रुपये, साठ नग अण्डे, छः पैकेट ब्रिस्टिल सिगरेट, एक पैकेट रजवाड़ा, कीमती कुल 420/- की चोरी आरोपीगण द्वारा करना लेख कराया गया था। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 को असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था। जिस पर थाना रूपझर की पुलिस के द्वारा असल अपराध क्रमांक 05/03 अन्तर्गत धारा 457, 380/34 भा.दं.वि. कायम किया था। दिनांक 10.01.2009 को उसने घटनास्थल पर जाकर गवाहों एवं फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। उसके बाद ग्राम पंचायत भवन ग्राम पोण्डी गया जहां से आरोपीगण को साक्षियों के समक्ष अभिरक्षा में लेकर मेमोरेण्डम कथन लेख किया था। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-06 में आरोपी नरेन्द्र ने बताया था कि

रजवाड़ा गुटखा खा गये तथा बंटवारे में नगदी पैसे एवं सिगरेट को घर में रखा है चलो चलकर बरामद करा देता हूँ एवं आरोपी सतीश ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-07 एवं आरोपी राकेश ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-08 में बताया था कि अण्डे व रजवाड़ा खा गये तथा नगदी पैसे, सिगरेट को घर में रखे है चलो चलकर बरामद करा देते है। आरोपी नरेन्द्र के द्वारा उसके घर से 25 पैसे के एक सौ सिक्के सफेद पॉलिथिन में रखे हुऐ, दो पैकेट ब्रिस्टल पैकेट निकालकर पेश करने पर साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-09 तैयार किया था। आरोपी सतीश के द्वारा उसके घर से पचास पैसे के एक सौ सिक्के सफेद पॉलिथिन में, दो ब्रिस्टल पैकेट सिगरेट पेश करने पर साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-10 तैयार किया था। आरोपी राकेश के द्वारा उसके घर से एक रूपये के पचास सिक्के एक सफेद पॉलिथि में, दो रूपये के पच्चीस सिक्के एक पॉलिथिन मे एवं दो पैकेट ब्रिस्टल सिगरेट पेश करने पर साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-11 तैयार किया था। दिनांक 10.01.2003 को फरियादी अरुण कुमार, रामचंद्र, गुलाब के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षियों के समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 से लगायत प्रदर्श पी-05 तैयार किया था जिस पर उसके तथा आरोपीगण के हस्ताक्षर है।

(09) किन्तु अभियोजन साक्षी गुलाब बिसेन (अ.सा. 2) का कहना है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके कोई कथन नहीं लिये और आरोपीगण को भी उसके सामने गिरफ्तार नहीं किये। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-3 में भी उसके हस्ताक्षर नहीं है। आरोपीगण ने उसके सामने पुलिस से कोई पूछताछ नहीं की थी। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-6 से लगायत प्रदर्श पी-8 पर पुलिस चौकी पर बुलाकर हस्ताक्षर करवा लिये थे। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण से कोई सामान जप्त नहीं किया, जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-9 से लगायत प्रदर्श पी-11 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपी से पुलिस ने उसके सामने पूछताछ की और मेमोरेण्डम तैयार किया, इस बात से स्पष्ट इंकार किया एवं पुलिस को प्रदर्श पी-12 का कथन देने से भी स्पष्ट इंकार किया है।

(10) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता का बचाव है कि आरोपी निर्दोष है। पुलिस ने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट उनके मन से लिखी, घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श

पी-2 पुलिस चौकी उकवा में बैठकर बनाया, आरोपी ने 150/- रुपये चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी और उसने 175/- रुपये जप्त किये हैं। साक्षी गुलाब बिसेन को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने समर्थन नहीं किया है एवं शेष साक्षियों के कथनों का प्रतिपरीक्षण में खण्डन होने से भी अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाये।

(11) आरोपी एवं आरोपी के अधिवक्ता के बचाव पर विचार किया गया।

(12) अभियोजन साक्षी/फरियादी अरुण कुमार (अ.सा. 1) का कहना है कि घटना वर्ष 2004 की रात्रि के समय ग्राम पोण्डी उसकी दुकान की है। घटना दिनांक को वह 07:00 बजे दुकान बंद करके घर चला गया था। सुबह आने पर उसने देखा कि उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ था और वहां से सिगरेट, पाउच, पैसे आदि चोरी चले गये थे। उसने घटना की रिपोर्ट चौकी उकवा में लिखायी थी, जो प्रदर्श पी-01 है। पुलिस ने उसके समक्ष घटनास्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। किन्तु साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा-2 में यह बताया है कि पुलिस ने प्रदर्श पी-1 की रिपोर्ट उनके मन से लिखी थी, उसे रिपोर्ट पढ़कर भी नहीं बताई। घटनास्थल का मौकानक्शा प्रदर्श पी-2 पुलिस चौकी उकवा में बैठकर बनाया और उसके हस्ताक्षर करवाये थे।

(13) अभियोजन साक्षी/विवेचनाकर्ता सहदेवराम साहू (अ.सा. 3) का कहना है कि उसने दिनांक 10.01.2003 को पुलिस चौकी उकवा में चौकी प्रभारी के पद पर कार्यरत् रहते हुये फरियादी अरुण कुमार की मौखिक रिपोर्ट पर आरोपी नरेन्द्र, सतीश, राकेश के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी, जो प्रदर्श पी-01 है। फरियादी अरुण कुमार ने प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगभग डेढ़ सौ रुपये, साठ नग अण्डे, छः पैकेट ब्रिस्टल सिगरेट, एक पैकेट रजवाड़ा, कीमती कुल 420/- की चोरी आरोपीगण द्वारा करना लेख कराया गया था। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-01 को असल नम्बरी हेतु थाना रूपझर भेजा था। जिस पर थाना रूपझर की पुलिस के द्वारा असल अपराध क्रमांक 05/03 अन्तर्गत धारा 457, 380/34 भा.दं.वि. कायम किया था। दिनांक 10.01.2009 को उसने घटनास्थल पर जाकर गवाहों एवं फरियादी की निशादेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-02 तैयार किया था। उसके बाद ग्राम पंचायत भवन ग्राम

पोण्डी गया जहां से आरोपीगण को साक्षियों के समक्ष अभिरक्षा में लेकर मेमोरेण्डम कथन लेख किया था। मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-06 में आरोपी नरेन्द्र ने बताया था कि रजवाड़ा गुटखा खा गये तथा बंटवारे में नगदी पैसे एवं सिगरेट को घर में रखा है चलो चलकर बरामद करा देता हूँ एवं आरोपी सतीश ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-07 एवं आरोपी राकेश ने मेमोरेण्डम कथन प्रदर्श पी-08 में बताया था कि अण्डे व रजवाड़ा खा गये तथा नगदी पैसे, सिगरेट को घर में रखे है चलो चलकर बरामद करा देते है। आरोपी नरेन्द्र के द्वारा उसके घर से 25 पैसे के एक सौ सिक्के सफेद पॉलिथिन में रखे हुऐ, दो पैकेट ब्रिस्टिल पैकेट निकालकर पेश करने पर साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-09 तैयार किया था। आरोपी सतीश के द्वारा उसके घर से पचास पैसे के एक सौ सिक्के सफेद पॉलिथिन में, दो ब्रिस्टिल पैकेट सिगरेट पेश करने पर साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-10 तैयार किया था। आरोपी राकेश के द्वारा उसके घर से एक रुपये के पचास सिक्के एक सफेद पॉलिथि में, दो रुपये के पच्चीस सिक्के एक पॉलिथिन में एवं दो पैकेट ब्रिस्टिल सिगरेट पेश करने पर साक्षियों के समक्ष जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-11 तैयार किया था। दिनांक 10.01.2003 को फरियादी अरूण कुमार, रामचंद्र, गुलाब के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे। साक्षियों के समक्ष आरोपीगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-03 से लगायत प्रदर्श पी-05 तैयार किया था जिस पर उसके तथा आरोपीगण के हस्ताक्षर है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण के पैरा-5 में यह स्वीकार किया है कि आरोपी ने 150/- रुपये चोरी की रिपोर्ट लिखाई थी और उसने 175/- रुपये जप्त किये है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में पांच रुपये के सिक्के चोरी होना लिखाया था और पांच रुपये के सिक्के जप्त नहीं किये है।

(14) अभियोजन साक्षी गुलाब बिसेन (अ.सा. 2) का कहना है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके कोई कथन नहीं लिये और आरोपीगण को भी उसके सामने गिरफ्तार नहीं किये। गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-3 में भी उसके हस्ताक्षर नहीं है। आरोपीगण ने उसके सामने पुलिस से कोई पूछताछ नहीं की थी। मेमोरेण्डम प्रदर्श पी-6 से लगायत प्रदर्श पी-8 पर पुलिस चौकी पर बुलाकर हस्ताक्षर करवा लिये थे। पुलिस ने उसके सामने आरोपीगण से कोई सामान जप्त नहीं किया,

जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-9 से लगायत प्रदर्श पी-11 पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। साक्षी को अभियोजन द्वारा पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी आरोपी से पुलिस ने उसके सामने पूछताछ की और मेमोरेण्डम तैयार किया, इस बात से स्पष्ट इंकार किया एवं पुलिस को प्रदर्श पी-12 का कथन देने से भी स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण के पैरा-11 में यह स्पष्ट बताया है कि पुलिस ने प्रदर्श पी-6 से लगायत प्रदर्श पी-11 पर पुलिस चौकी उकवा में हस्ताक्षर करवाये थे।

(15) प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं विवेचनाकर्ता सहदेवराम साहू (अ.सा. 3) के कथनों में एवं अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/फरियादी अरुण कुमार (अ.सा. 1) एवं साक्षी गुलाब बिसेन (अ.सा. 2) के कथनों में गम्भीर विरोधाभास है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी गुलाब बिसेन (अ.सा. 2) को पक्षद्रोही घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर भी साक्षी ने अभियोजन का समर्थन नहीं किया है तथा अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षी/विवेचनाकर्ता सहदेवराम साहू (अ.सा. 3) एवं साक्षी/फरियादी अरुण कुमार (अ.सा. 1) के कथनों का प्रतिपरीक्षण में भी खण्डन हुआ है। अतः अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के कथनों से आरोपी नरेन्द्र ने दिनांक-29.12.2002 से 30.12.2002 की दरम्यानी रात्रि में ग्राम पोण्डी में फरियादी अरुण कुमार के घर के कमरे में स्थित पान दुकान, जो सम्पत्ति अभिरक्षा के उपयोग में आती थी, में सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व प्रच्छन्न गृहभेदन कारित करने किया तथा फरियादी के कब्जे से 150/-, 60 नग अण्डे, 6 पैकेट ब्रिस्टिल, 01 पैकेट रजवाड़ा को फरियादी की सम्मति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की। यह विश्वासनीय प्रतीत नहीं होता है।

(16) उपरोक्त साक्ष्य की विवेचना एवं निष्कर्ष के आधार पर अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे साबित करने में असफल रहा है कि आरोपी नरेन्द्र ने दिनांक-29.12.2002 से 30.12.2002 की दरम्यानी रात्रि में ग्राम पोण्डी में फरियादी अरुण कुमार के घर के कमरे में स्थित पान दुकान, जो सम्पत्ति अभिरक्षा के उपयोग में आती थी, में सूर्यास्त के पश्चात् तथा सूर्योदय के पूर्व प्रच्छन्न गृहभेदन कारित करने किया तथा फरियादी के कब्जे से 150/-, 60 नग अण्डे, 6 पैकेट ब्रिस्टिल, 01 पैकेट रजवाड़ा को फरियादी की सम्मति के बिना बेईमानी से लेने के आशय से हटाकर चोरी कारित की।

अभियोजन का प्रकरण सन्देहस्पद है। अतः सन्देह का लाभ आरोपी को दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

(17) परिणाम स्वरूप आरोपी—नरेन्द्र को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—457, 380/34 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

(18) प्रकरण में आरोपी नरेन्द्र पूर्व से जमानत पर है, उसके पक्ष में पूर्व के निष्पादित जमानत एवं मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

(19) प्रकरण में जप्तशुदा कुल 175/— रुपये फरियादी अरूण कुमार पिता सुबरातीलाल देशमुख साकिन पोण्डी थाना रूपझर जिला बालाघाट को अपीलावधि पश्चात विधिवत वापस किए जावें तथा शेष संपत्ति मूल्यहीन होने से अपीलावधि पश्चात विधिवत नष्ट की जावें। अपील होने पर माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार सम्पत्ति का निराकरण किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित
किया गया।

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर, जिला बालाघाट (म0प्र0)

(डी.एस.मण्डलोई)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)